



उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001

दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806


Web-www.uppbpb.gov.in

पत्र संख्या: पीआरपीबी-प्रो-9-897 / 2018

दिनांक: मई २५, 2019

सूचना / विज्ञाप्ति

रैकर उ0नि0 नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में रिट याचिका संख्या: 19531(एस/एस)/2018 मनोज कुमार व 13 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2018 के अनुपालन में याचीगण का संयुक्त हस्तारित प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा दिनांक मई 17,2019 को निरस्तारित किया जा चुका है। प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश की प्रति याचीगण को हस्तगत कराये जाने हेतु याचीगण के नियुक्त जनपद को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर दी गयी है।


अनुसचिव (प्रोन्नति),

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
लखनऊ।



उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19सी, तुलसी गंगा काम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001
दूरभाष /फैक्स : 0522.2235752, फैक्स : 0522—2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

पत्र संख्या: पीआरपीबी—प्रो—9—897 / 2018

दिनांक: मई 17, 2019

आदेश

याची श्री मनोज कुमार व 13 अन्य द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका संख्या: 19531(एस / एस) / 2018 मनोज कुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित करते हुये मा० उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गयी है कि विपक्षीगण को याचीगण की प्रोन्नति उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर करने हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये पृथक मानक दिनांक 11.12.2013 के नोटिफिकेशन के अन्तर्गत किये जाने हेतु परमादेश (मैण्डमस) निर्गत की जाये।

2— मा० उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात दिनांक 10.07.2018 को निर्णय पारित किया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं :—

“.....In view of the above, the writ petition is disposed of with the direction to the respondent no.3 to consider the claim of the petitioners for promotion as and when they undertake the exercise of promotion to the post of Sub-Inspectors in future, if they are otherwise eligible for the promotion. It is needless to mention that the petitioners will have to clear physical efficiency test as provided in the Rules, as amended in 2013. In other words, the petitioners will have to clear physical efficiency test for promotion on the post of Sub-Inspector (Civil Police) as per the relaxed criterion, 2015 and 2016 as observed by the Supreme Court. It is made clear that, under any circumstance, the petitioners shall not claim notional promotion or any other benefits from any date, earlier to his actual promotion.”

3— मा० उच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए याचीगण के प्रकरण का मेरे द्वारा गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। याचीगण द्वारा आरक्षी पी०ए०सी० के पद पर नियुक्त रहते हुये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस रैंकर परीक्षा—2011 में उपनिरीक्षक के पद हेतु आयोजित परीक्षा में आवेदन किया था तथा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त याचीगण द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रतिभाग किया गया जो उ०प्र० उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 के नियम—5(2) के अन्तर्गत अनिवार्य थी। याचीगण द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल होने के कारण रिट याचिका योजित की गयी है तथा यह अनुरोध किया है कि याचीगण को दिनांक 11.12.2013 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार संशोधित सेवा नियमावली के अन्तर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा में शिथिलता प्रदान की जाए।

5— उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली, 2013 (दिनांक 11.12.2013 को प्रख्यापित) में यह प्रावधान है कि मुख्य आरक्षी से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति हेतु मुख्य आरक्षी के पद पर 03 वर्ष की सेवा अनिवार्य है तथा इस नियमावली में आरक्षी पद से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सीधी प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।

6— याचीगण मनोज कुमार व अन्य के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि रैकर उपनिरीक्षक ना0पु0 विभागीय परीक्षा-2011 के अन्तर्गत दिनांक 13-03-2011 को सम्पन्न हुई लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों, जिसमें याचीगण भी सम्मिलित है, के लिये लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उन्हें अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु “उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 के नियम-16 के खण्ड-(ख) में उल्लिखित नियम “अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 75 मिनट में 10 किमी0 की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 45 मिनट में 05 किमी0 की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।”, के आलोक में शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि नियत करते हुए बुलावा पत्र निर्गत किया गया। याचीगण निर्धारित 75 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ हेतु आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित/असफल होने के कारण अचयनित हुये हैं।

7— रिट याचिका संख्या 19531(एस/एस)/2018 मनोज कुमार व 13 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 10.07.2018 में उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली, 2013 एवं 2015 (यथा संशोधित) के नियमों में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भविष्य में होने वाली प्रक्रिया में “----- as and when he undertake the exercise of promotion to the post of Sub-Inspectors in future, if they are otherwise eligible for the promotion ” तो विचार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

8— यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2013 एवं 2015 (यथा संशोधित) में प्रावधानित है कि उप निरीक्षक ना0पु0 के पद “मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो”। याचीगण द्वारा मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की गयी है, जिसके फलस्वरूप यह संगत सेवा नियमावली के अनुसार पात्र नहीं है। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: डीजी-चार-106(50)2017 दिनांक 14-12-2017 के माध्यम से 7639 पदों के प्राप्त अधियाचन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी वरिष्ठता/पात्रता सूची में अंकित कार्मिकों की संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधानों एवं प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आलोक में अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की कार्यवाही की गयी है।

9— चूंकि याचीगण उक्त वर्णित संगत सेवा नियमावली के अनुसार निर्धारित पात्रता पूर्ण नहीं किये हैं, इसलिए उप निरीक्षक ना०पु० के पद पर प्रोन्नति हेतु पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी पात्रता सूची में उक्त याचीगण का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में भविष्य में जब भी याचीगण उक्त संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधानों के आलोक में निर्धारित पात्रता पूर्ण करेगा तब यथासमय—यथारिथ्ति विचार किया जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि समान प्रकरण में योजित अवमानना याचिका संख्या: 6058 / 2018 अवधेश कुमार द्विवेदी एवं 46 अन्य को मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-02-2019 को निरस्त किया जा चुका है।

10— अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में रिट याचिका संख्या: 19531(एस / एस) / 2018 मनोज कुमार व 13 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2018 के अनुपालन में याचीगण का प्रकरण एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।

~~मुक्ति १०/११~~
सदस्य,
उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रतिलिपि : पंजीकृत डाक / द्वारा विशेष वाहक

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ०प्र० लखनऊ।
- 2— पुलिस उप—महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
- 3— निम्नलिखित को 02 प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि निम्न कर्मियों को एक प्रति सम्बन्धित कर्मी को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित प्राप्त कर इस बोर्ड को वापस करें। यदि सम्बन्धित कर्मी आपके जनपद / इकाई से अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण पर प्रस्थान किया हो तो स्थानान्तरण के जनपद / इकाई भेजकर तामिल कराने का कष्ट करें :—
 - (1)— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को आपके जनपद में नियुक्त याची 1—आरक्षी श्री मनोज कुमार यादव पुत्र श्री राम किशोर यादव, पीएनओ—892060508 तथा 2—श्री दीनानाथ यादव पुत्र श्री जमुना यादव, पीएनओ—952610500, नियुक्ति पुलिस स्टेशन—हैदरगंज को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
 - (2)— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर को आपके जनपद में नियुक्त याची 1—आरक्षी श्री अमरीश कुमार पुत्र श्री रतिराम सिंह, पीएनओ—972331586 / 972120342, 2—आरक्षी श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहनवीर सिंह, पीएनओ—912650212, कार्यालय क्षेत्राधिकारी गढमुक्तेश्वर, 3—आरक्षी श्री राम कुमार पुत्र श्री ईश्वर सिंह, पीएनओ—952650403, नियुक्ति पुलिस स्टेशन—विशरथ, 4—मु०आरक्षी श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री रूपराम, पीएनओ—862510958, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कार्यालय तथा 5—आरक्षी श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, पीएनओ—972292423, ज्येष्ठ अभियोजन कार्यालय, गौतमबुद्ध नगर को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
 - (3)— पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को आपके जनपद में नियुक्त याची / आरक्षी श्री रविन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र स्व० सोमेश्वर शुक्ला, पीएनओ—882080334 / 882080132, नियुक्ति सम्मन सेल, गोण्डा कोर्ट, गोण्डा को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।

- (4)– पुलिस अधीक्षक, खीरी को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी श्री गजेन्द्र यादव पुत्र श्री शैलेन्द्र यादव, पीएनओ–902461927, नियुक्ति–पसगवाँ, खीरी को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (5)– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को आपके जनपद में नियुक्त याची/महिला आरक्षी ऊषा कमल पुत्री स्व० जयकरन कमलवंश, पीएनओ–962410318, पुलिस लाइन को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (6)– पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी श्री शिशुपाल सिंह पुत्र स्व० श्रीराम सहाय, पीएनओ–952292153, पुलिस लाइन, हापुड़ को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (7)– श्री संजय कुमार पुत्र श्री जयनारायण सिंह, निवासी मकान नं०–118, साबुन गोदाम, बागपत रोड, मेरठ।
- (8)– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी श्री अनिल कुमार पुत्र श्रीराम सिंह, पीएनओ–892651870 / 890901148 / 892651872, नियुक्ति पुलिस स्टेशन–फतेहपुर, सहारनपुर को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।

सदस्य,

उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।